शुद्ध पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने इंदौर में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक

भोपाल, 31 दिसंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई जलजनित घटना के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुधवार को इंदौर में समीक्षा बैठक की.

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घटना की पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति और अब तक की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली तथा स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस संबंध में लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थिति पर सतत निगरानी एवं त्वरित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजय दुबे को इंदौर में ही तैनात रहने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम की आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त अमला और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत किया जा सके. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर हुई लापरवाही की जांच की जा रही है. विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने घटना को दुःखद बताते हुए कहा कि इससे सबक लेकर भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए सरकार पूरी दृढ़ता से कदम उठाएगी.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में टैंकरों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. जलापूर्ति पुनः प्रारंभ होने पर कहीं भी लीकेज या प्रदूषण की आशंका पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से में जलापूर्ति शुद्ध पाई गई है, जबकि शेष हिस्सों में पुरानी एवं क्षतिग्रस्त लाइनों के कारण समस्या सामने आई है, जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, शासकीय एवं निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की तत्परता की सराहना की.

नववर्ष 2026 में कांग्रेस नेताओं के नए संकल्प

विशेष संवाददाता

भोपाल, 31 दिसंबर. दृढ़ इच्छाशक्ति और नए संकल्प के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने वर्ष 2026 के लिए अपनी सोच और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना शुरू कर दिया है.

उन्होंने पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक दृढ़ता को दोहराते हुए जनता के मुद्दों पर संघर्ष का संकल्प जताया.

कांग्रेस पार्टी हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रताओं जैसे भोजन, वस्त्र, भाषा, व्यक्तिगत कानून और निजी पसंद की रक्षा के पक्ष में रही है. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान पर आधारित धर्मनिरपेक्षता ही लोकतंत्र की आधारशिला है.

– शहरयार खान, प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी, अनूपपुर

मेरा प्रमुख लक्ष्य राहुल गांधी के न्याय और मोहब्बत की दुकान के विचार को जमीनी स्तर पर उतारना है. उन्होंने मनरेगा को अधिकार के रूप में मजबूत करने, आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने और संवाद व भाईचारे से नफरत को परास्त करने पर बल दिया.

– डॉ. विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता

जीतू पटवारी के नेतृत्व में राजनीति की दिशा बदलने का वर्ष होगा. कांग्रेस जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाएगी, सरकार की नाकामियों को तथ्यों के साथ उजागर करेगी और झूठे प्रचार के विरुद्ध सत्य की आवाज बनेगी.

– प्रवीण धौलपुरे, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता

प्रथम पृष्ठ का शेष

दिग्विजय की टिप्पणी से कांग्रेस में बहस तेज

अपने रुख को स्पष्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं संगठन की सराहना करता हूं, लेकिन आरएसएस और मोदी जी की विचारधारा का सदैव मुखर विरोधी रहा हूं. मैंने संगठन की प्रशंसा की है, न कि उनकी विचारधारा की. सिंह के इस बयान पर कांग्रेस के भीतर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि नाथूराम गोडसे से जुड़े संगठन से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कांग्रेस क्या सीख सकती है. कई अन्य नेताओं ने भी सिंह की टिप्पणी से दूरी बनाते हुए कांग्रेस और आरएसएस के बीच वैचारिक अंतर को रेखांकित किया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक असंतोष की ओर इशारा करती है. दो बार मुख्यमंत्री रह चुके और 5 दशक से पार्टी से जुड़े सिंह को जमीनी स्तर पर संगठन की कमजोर पकड़ को लेकर चिंतित माना जा रहा है.

दूषित पानी से मृतक की संख्या 12

डॉक्टरों ने उसे बाहरी दूध देने का बोला था जिसके चलते उसके दूध में पानी मिला कर दिया जाता था, क्या पता था कि यही पानी उसकी मौत का कारण बन जाएगा. अन्य मृतक के नाम जीवनलाल बरेडे, शंकर लाल और अशोक पवार हैं. पीने के पानी की स्थिति को लेकर नगर निगम हरकत में आया लेकिन भागीरथपुरा में हालात फिलहाल सामान्य नहीं हैं. लोग साफ पानी, पारदर्शी जांच और जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इलाके में पसरी खामोशी बता रही है कि भरोसा अभी भी डगमगाया हुआ है.

डीआरडीओ ने दागीं दो 'प्रलय' मिसाइलें

प्रलय देश में ही विकसित ठोस ईंधन आधारित अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें उच्च सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया है. यह मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध अनेक प्रकार के मुखास्त्र ले जाने में सक्षम है.

नए साल का जश्न

भोपाल. बुधवार को मालवीय नगर में विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास पर नए साल का जश्न आतिशबाजी कर मनाया गया. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह आदि मौजूद रहे.

पीएमश्री पर्यटन, हेली सेवा से नई ऊंचाइयों पर एमपी टूरिज्म

भोपाल, 31 दिसंबर. मध्यप्रदेश ने वर्ष 2025 में पर्यटन, संस्कृति और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं.

वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश पर्यटन को राष्ट्रीय और वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएमश्री पर्यटन हेली सेवा जैसी अभिनव पहलों की शुरुआत की गई, जिससे प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को सशक्त बनाया गया. इन पहलों ने न केवल पर्यटकों के लिए यात्रा को सुगम बनाया, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए. ग्रामीण पर्यटन को सशक्त करते हुए विगत दो वर्षों में 400 से अधिक होमस्टे प्रारंभ किए गए, सरकार का लक्ष्य 1000 होमस्टे विकसित करने का है.

वहीं, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव और मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट जैसे आयोजनों से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को नई गति दी. धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में ओंकारेश्वर को अद्वैत लोक के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के पश्चात अद्वैत लोक के द्वितीय चरण हेतु 2424 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है.

कार्यालय नगर पालिक निगम (यांत्रिक विभाग) भोपाल

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र. 813/यां.वि./2025 — भोपाल, दिनांक 30/12/2025

निम्न कार्य हेतु म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैं. विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर है.

क्र.	निविदा क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत (रु. में)	निविदा क्रय करने का अंतिम दिनांक	समय
1.	2025_UAD_471225_1	Construction of CC road at Khanuja Enclave Colony at Bawadiya Kalan W-52 Z-13	11,86,086/-	27-JAN-2026	05:30 PM
2.	2025_UAD_471127_1	Construction of CC road of Aakriti Retreat Colonyat Rohit Nagar W-52 Z-13	13,55,180/-	27-JAN-2026	05:30 PM

नोट:- संशोधन केवल वेबसाइट पर ही देखे जा सकेंगे. समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होंगे.

कार्यपालन यंत्री (सिविल)
नगर पालिक निगम, भोपाल

नि.क्र. 2894/025/026

टीम अल्फा बनी क्रिकेट चैम्पियन

भोपाल. आईसेक्ट एवं स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी की ओर से स्कोप कैम्पस में पांच दिवसीय वार्षिक स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन किया गया. इस वार्षिक स्पर्धा में प्रतिभागियों ने इस बार क्रिकेट, वॉलीबाल, शतरंज, बैडमिंटन, टेबलटेनिस, 100 मी. रेस, फुटसाल, टग ऑफ वॉर और कैरम में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया. आईसेक्ट एवं स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस आयोजन में स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, आईसेक्ट मुख्यालय और आईसेक्ट के सभी संबद्ध संस्थानों ने भागीदारी की. क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में टीम अल्फा ने एसजीएसयू रॉयल टीम को हराकर जीत हासिल की.

क्लीनिक के सामने से बाइक चोरी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल. पिपलानी थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना सामने आई. भरत नगर में संचालित एक क्लीनिक के सामने से अज्ञात चोरों ने बाइक चोरी की. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. मंगलवार को देर रात अज्ञात चोरों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है. घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस ने निकलवाई. वीडियो में दिख रहे संदिग्धों के हुलिए की पहचान करते हुए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.

अंडरगारमेंट्स की चोरी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

भोपाल. कोलार इलाके में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करने का मामला सामने आया है. मामला सामने आने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की है. मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान दीपेश नाम के युवक के रूप में की गई है. अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक वह घरों के बाहर या छतों पर सूखने के लिए डाले जाने वाले महिलाओं के अंडरगारमेंट को चोरी करता था. मंगलवार को देर रात आरोपी अमरनाथ कॉलोनी में एक घर की छत पर इसी इरादे से पहुंचा था. अंडरगारमेंट को चोरी कर जब वह भाग रहा था, तभी उसे घर के मालिक ने देख लिया. आरोपी का पीछा भी किया गया, तब तक वह दूर तक निकल गया था. मकान के मालिक को आरोपी का श्रमिक कार्ड छर पर गिरा हुआ मिला. थाने पहुंचकर मकान मालिक ने पुलिस में शिकायत की.

Court Motion notice (General Format) (Proforma 4, Appendix H) — Civil A 11 M Process No. .....

Court Hon'ble Shri A. R. Surve, Civil Judge Senior Division, Arvi.

Reg. Dkst. 13/2025 — P.E. 17.01.2026

Harish Marathe Holder — Decree
Vs.
Nirmala Dhabale Debtor — Judgment

J.D. : **Sunanda Avinash Hatawar,** R/o Area Colony, Plot No. E-3, 310, Bhopal, Tah. Dist. Bhopal (Madhya Pradesh)

Hereby you are infomed that, in view of order No. 199/A-1-1/92, Part 4/ Sr. Clerk / Statastics / 2025 dtd. 03/03/2025 of Principal District and Sessions Judge, Wardha this matter is transferred received to Newly estabilised Civil Court Senior Division, Wardha. In this matter you have to appear in person or by a pleader duly instructed on the **17-01-2026 at 11:00 O'clock in** the forenoon,

Given under my hand and the seal of the Court, this **24-11-2025.**

Seal — By order Assistant Suprintendent, Civil Court Senior Division, Arvi

नाम परिवर्तन

Amjad Shibani S/o Mohammad Fahrukh Shibani आयु वयस्क, निवासी: सुदामा नगर झुग्गियां, म.नं. 346, गली नं. 10, सुदामा नगर भोपाल मेरे पासपोर्ट में पहले मेरा नाम Mohammad Amjad Shibani दर्ज था, जो कि बदल कर मेरा नाम Amjad Shibani हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा. आगे भविष्य में इसको लेकर कोई वाद-विवाद होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं मैं रहूंगा.

नाम परिवर्तन

Shamsuddin Nadvi S/o Ahmed Noor आयु वयस्क, निवासी: 17 05 जगन्नाथ कॉलोनी, भोपाल मेरे पासपोर्ट में पहले मेरा नाम Shamsuddin दर्ज था, जो कि बदल कर मेरा नाम Shamsuddin Nadvi हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा. आगे भविष्य में इसको लेकर कोई वाद-विवाद होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं मैं रहूंगा.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016
फोन नं. : 0755-2430154, 2464643, फैक्स नं. : 2981055, ई-मेल : secretary@mperc.nic.in, वेबसाइट : www.mperc.in

क्रमांक: म.प्र.वि.नि.आ./2025/2535 — भोपाल, दिनांक: 29.12.2025

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रमांक 138/2025)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2021 (आरजी-35 (III) वर्ष 2021) यथा संशोधित"** अधिसूचित किया गया (जिसे आगे टैरिफ विनियम उल्लेखित किया गया है)।

याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. जबलपुर; मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल; मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर; तथा एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि.जबलपुर (जिन्हें आगे क्रमशः "याचिकाकर्ता" अथवा 'ईस्ट डिस्कॉम (पूर्व क्षेत्र)', सेंट्रल डिस्कॉम (मध्य क्षेत्र)', वेस्ट डिस्कॉम (पश्चिम क्षेत्र)', तथा 'एमपीपीएमसीएल', उल्लेखित किया गया है) राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां हैं। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है।

टैरिफ विनियम के विनियम 7.2 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष दिनांक 28 नवंबर' 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता, जिसे आयोग ने याचिका क्रमांक 73/2023 में आदेश दिनांक 06 मार्च 2024 को पारित कर अनुज्ञेय किया था, के सत्यापन हेतु याचिका दायर की है। आयोग ने 09 दिसम्बर 2025 को आयोजित सुनवाई में उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया है। हितधारकों से उक्त याचिका पर आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ/सुझाव इस सूचना के माध्यम से आमंत्रित हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 की समग्र राजस्व आवश्यकता के सत्यापन हेतु प्रस्तुत याचिका का सारांश निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं :-

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (ARR) का सारांश (करोड़ रुपये में)

क्र.	विवरण	पूर्व क्षेत्र		मध्य क्षेत्र		पश्चिम क्षेत्र		राज्य	
		अवधारित टैरिफ आदेशानुसार (A)	सत्यापन याचिका में प्रस्तुत वास्तविक दावा (B)	अवधारित टैरिफ आदेशानुसार (C)	सत्यापन याचिका में प्रस्तुत वास्तविक दावा (D)	अवधारित टैरिफ आदेशानुसार (E)	सत्यापन याचिका में प्रस्तुत वास्तविक दावा (F)	अवधारित टैरिफ आदेशानुसार (G=A+C+A)	सत्यापन याचिका में प्रस्तुत वास्तविक दावा (H=B+D+F)
1	विद्युत क्रय लागत (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार सहित)	9,398.83	11,117.03	13,166.89	13,872.72	16,138.58	16,715.46	38,704.29	41,705.21
2	पारेषण अंत:राज्यीय पारेषण लागत (एस.एल. डी.सी.प्रभार सहित)	1,691.59	2,017.69	1,710.49	1,943.14	1,709.37	1,916.03	5,111.44	5,876.86
3	संचा. व. संधा.व्यय	1,988. 02	1,395.39	1,910.62	1,464.72	1,906.60	1,463.56	5,805.24	4,323.68
4	अवक्षयन	386.20	348.36	380.09	348.11	209.57	306.35	975.86	1,002.82
5	व्यय एवं वित्तीय शुल्क	401.56	475.73	510.34	633.24	293.3	263.44	1205.2	1372.41
5 (i)	परियोजना ऋणों पर ब्याज	254.62	340.62	345.54	462.07	132.27	115.13	732.43	917.82
5 (ii)	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	63.57	40.79	54.53	65.45	19.46	15.97	137.56	122.21
5 (iii)	उपभोक्ता सुरक्षा निधि पर ब्याज	83.37	94.32	110.27	105.72	141.57	132.34	335.21	332.38
6	पूंजी पर प्रतिलाभ	237.85	255.84	272.30	309.95	172.74	166.29	682.88	732.09
7	खराब एवं संदिग्ध ऋण	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	5.15	0.00	5.46
8	पूर्व अवधि व्यय	0.00	0.00	0.00	623.02	0.00	0.00	0.00	623.02
9	पट्टा शुल्क	0.00	111.04	0.00	4.43	0.00	81.79	0.00	197.26
10	**कुल व्यय**	**14,104.05**	**15,721.09**	**17,950.72**	**19,199.64**	**20,430.16**	**20,918.08**	**52,484.94**	**55,838.80**
11	घटाएँ: अन्य आय – खुदरा एवं संवहन (रिटेल एवं व्हीलिंग)	162.35	345.67	149.48	136.87	172.76	286.87	484.59	769.41
12	**वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुद्धकुल व्यय**	**13,941.70**	**15,375.42**	**17,801.24**	**19,062.77**	**20,257.40**	**20,631.21**	**52,000.35**	**55,069.39**
13	वित्त वर्ष 2022-23 के म.प्र. ट्रॉंसको के ट्रू-अप का राजस्व अंतर	136.86	0.00	95.51	0.00	163.36	0.00	395.73	0.00
14	वित्त वर्ष 2021-22 के म.प्र. जेनको के ट्रू-अप का राजस्व अंतर	(431.14)	0.00	(508.13)	0.00	(600.51)	0.00	(1,539.78)	0.00
15	वित्त वर्ष 2022-23 के म.प्र. वितरण कंपनियों के ट्रू-अप का राजस्व अंतर	527.19	527.19	635.89	635.89	759.52	759.52	1,922.60	1,922.60
16	**वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल स्कल राजस्व आवश्यक्ता**	**14,174.61**	**15,902.61**	**18,024.51**	**19,698.66**	**20,579.77**	**21,390.73**	**52,778.90**	**56,991.99**
17	विद्युत के विक्रय से प्राप्तराजस्व	14,174.84	14,913.78	18,024.79	17,395.73	20,580.05	21,092.07	52,779.68	53,401.58
18	**शुद्ध राजस्व घाटा/अधिशेष**	**(0.23)**	**988.83**	**(0.28)**	**2,302.93**	**(0.28)**	**298.66**	**(0.78)**	**3,590.42**
19	वहन/धारण लागत	0.00	240.29	0.00	461.36	0.00	72.57	0.00	774.22
20	**वहन/धारण लागत सहित शुद्ध राजस्व घाटा/अधिशेष**	**(0.23)**	**1,229.11**	**(0.28)**	**2,764.29**	**(0.28)**	**371.24**	**(0.78)**	**4,364.64**
21	वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के ट्रू-अप में आयोग द्वारा स्थगित किए गए जनरेटरों के अनुपूरक बिलों की लागत	0.00	1,016.21	0.00	1,089.56	0.00	1,344.86	0.00	3,450.63

इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त सत्यापन याचिका पर अपनी आपत्तियां/टीप/सुझाव दस्तावेजों तथा प्रमाण सहित, यदि कोई हो तो, तीन प्रतियों में सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा ई-5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक 25.01.2026 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। (आपत्तियां/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां ई-मेल **(secretary@mperc.nic.in)** के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है जिनकी मूल प्रतियां दिनांक 25.01.2026 तक नियामक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए) आपत्तियों/टीप/सुझावों की एक प्रति संबिधित डिस्कॉम तथा म.प्र.पा. में कंपनी लि. को भी (ई-मेल **setracez@yahoo.com.in** द्वारा पूर्व क्षेत्र, **cecomwz@gmail.com** द्वारा पश्चिम क्षेत्र, **regulatorycell@gmail.com** द्वारा मध्य क्षेत्र तथा **cgmrmmppmcl@gmail.com** द्वारा एमपीपीएमसीएल) प्रेषित की जावे, दिनांक 25.01.2026 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य याचिका की प्रति (अंग्रेजी/हिन्दी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक 25.01.2026 तक किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं. लि. ब्लॉक नं. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर अथवा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर अथवा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउण्ड, इन्दौर अथवा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., गोविन्दपुरा भोपाल से एक प्रति के लिए **रु. 500/-** के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय **"उप महाप्रबंधक (लेखा) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र.पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. इन्दौर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. भोपाल"**, के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति डाक द्वारा **रुपये 100/-** के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। याचिका तथा टैरिफ प्रस्ताव की प्रति एवं याचिका की नियामक आयोग की वेबसाइट **https://mperc.in** तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट क्रमशः **https://www.mppmcl.com/, https://www.mpez.co.in/, https://www.mpwz.co.in/#/home** एवं **https://portal.mpcz.in/web/** पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है, एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

आयोग द्वारा दिनांक 23.02.2026 को प्रातः 11.00 बजे आयोग के कोर्ट कक्ष में हाईब्रिड मोड से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में आयोग में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा ऑनलाइन अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. सहित आयोग सचिव को **secretary@mperc.nic.in** पर भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध गाइड लाइन्स के अनुसार ऑनलाइन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/123748/2025 — **सचिव**